

53/2013

अहमदाबाद
की न्यायाधीश

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

तारीख
हुक्म

25/5/22

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 22-6-22 को पेश हो।

25/6/22

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 17/7/22 को पेश हो।


1/7/22

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 01/09/22 को पेश हो।

06/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, पाया कि प्रकरण विगत 03 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन पर्याप्ततम अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक सम्मन तामीली नहीं करवाई गई है, ऐसी सूरत में वादीगण को आगे ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा वादीगण का वाद सम्मन तलबाना पेश नहीं किए जाने के 'अभाव के कारण वादीगण का वाद आदेश 09 नियम 02 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा